BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के 05 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. कृष्ण पुत्र स्व0 गम्भीर ठाकुर 2. सुन्दर पुत्र बाबू सिंह ठाकुर निवासीगण ग्राम दुल्हैरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर 3. मांगे पुत्र हरकिशन ठाकुर निवासी ग्राम बडौदा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर 4. हेमलता पत्नी हरकिशन निवासी गुर्जर कालोनी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर 5. पूजा पुत्री स्व0 गम्भीर पत्नी राजीव निवासी ग्राम रोनिजा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.01.2013 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 52/13 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 27.10.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 16.12.2024 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा अभियुक्तों को 04-04 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।